कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 7853 / दिनांक, पिथौरागढ़, 17, मई, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13621/2015) के निर्माण हेतु 10.35 हे0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25सुभाष रोड़ देहरादून का पत्रांक–8बी/यू0पी0सी0/06/148/2016/एफ0सी0/1118 दि0 26.09.2017 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 353/1 व.भ.–पी0एम0जी0एस0वाई0–2022–23 दिनांक 10.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मांगी बिन्दुवार सूचना/अनुपालन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्वत् प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 20.70 हे0 सिन्नी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समा करते हुए यथासंसोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 20.70 हे0 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 5243972.00 (बावन लाख तैंतालिस हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न) उक्त भूमि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या –2394/ /सात–54/2017–18 दिनांक 06.09.2018 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिन्नी, पटवारी क्षेत्र रिंगौनिया तहसील– मुनस्यारी जिला–पिथौरागढ़ में चिन्हित भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया जा चुका है। (प्रपत्र संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 9283950.00 (बयानवे लाख तिरासी हजार नौ सौ पचास मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–5–3/2007–एफसी दिनांक 05.02.2009	शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की कुल धनराशि

	के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	रु0 14527922.00(एक करोड पैंतालिस लाख सत्ताईस हजार नौ सौ बाईस मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है।(प्रति संलग्न)
5	निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख–रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
6	State Govt. may uploaded 658.92 ha of CA Stipulated in the non-forest land in column-7 of the table in the district profile data at para-14 of online part-II	वर्ष 2019 का सही डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल संलग्न है।
7	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original attested copies of all other documents except FRA Certificate, geo referenced digital map of the forest land proposal for diversion which have been provided in original. Geo – referenced digital map of CA may be provided in original.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के जियो रिफ्रेंस डिजिटल मैप व टोपोशीट मैप संलग्न हैं।

अन्य आवश्यक शर्ते–

8	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
9	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होग।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरो/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
11	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का चार फिट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर फॉरवर्ड एवं बैक बेयरिंग अंकित किया जायेगा।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
12	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सके सड़क के दोनो किनारे तथा पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख–रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन की जाएगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा मार्ग निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
14	परियोजना के निर्माण व रख–रखावा के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।

	के अलावा अन्य किसी उददेश्य के लिए नही किया जायेगा।	
16	कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 76 से अधिक न हो।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
17	परियोजना निर्माण से ऊत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा। एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
18	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।

अतः सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– 7853 / 19-05-2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 धारचूला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

ac

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, खण्ड,
लो0 नि0 वि0, धारचूला,
(ग्वालगॉव व्यूप्वॉइंट, तवाघाट रोड़ धारचूला)

☎ / फैक्स नं0 05967–222008 ई–मेल:–eepmgsydharchula@rediffmail.com

पत्रांक–32 / 1व0भू0–पी0एम0जी0एस0वाई0–2021–22 दिनांक–13 / 01 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वनप्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13621/2015) के निर्माण हेतु 10.35 हे0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून का पत्रांक–8बी / यू0पी0सी0 / 06 / 148 / 2016 / एफ0सी0 / 1118 दि0 26.09.2017.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मांगी बिन्दुवार सूचना / अनुपालन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्वत् प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 20.70 हे0 सिन्नी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समा करते हुए यथासंसोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले 20.70 हे0 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रु0 5243972.00 (बावन लाख तेंतालिस हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न) उक्त भूमि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्र संख्या – 2394 / / सात–54 / 2017–18 दिनांक 06.09.2018 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिन्नी, पटवारी क्षेत्र रिंगौनिया तहसील– मुनस्यारी जिला–पिथौरागढ़ में चिन्हित भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किया जा चुका है। (प्रपत्र संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–5–3 / 2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या–02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 9283950.00 (बयानवे लाख तिरासी हजार नौ सौ पचास मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है। (प्रति संलग्न)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक–5–3 / 2007–एफसी दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की कुल धनराशि रु0 14527922.00(एक करोड पैंतालिस लाख सत्ताईस हजार नौ सौ बाईस मात्र) ऑनलाईन चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की चुकी है।(प्रति संलग्न)
5	निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख–रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।

P.T.O.

6	State Govt. may uploaded 658.92 ha of CA Stipulated in the non-forest land in column-7 of the table in the district profile data at para-14 of online part-II	संलग्न।
7	State Govt. will provide hard copy of proposal containing original attested copies of all other documents except FRA Certificate, geo referenced digital map of the forest land proposal for diversion which have been provided in original. Geo –referenced digital map of CA may be provided in original.	संलग्न।

अन्य आवश्यक शर्ते–

8	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
9	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होग।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
10	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरो/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
11	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का चार फिट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर फॉरवर्ड एवं बैक बेयरिंग अंकित किया जायेगा।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
12	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सके सड़क के दोनो किनारे तथा पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख–रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन की जाएगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
13	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा मार्ग निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
14	परियोजना के निर्माण व रख–रखावा के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जायेगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
15	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उददेश्य के लिए नही किया जायेगा।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
16	कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 76 से अधिक न हो।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
17	परियोजना निर्माण से ऊत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा। एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।
18	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न।

अतः सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

13.01.22

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0 धारचला

प्रतिलिपि :–

1.अधीक्षण अभियन्ता महोदय पी0एम0जी0एस0वाई0वृत्त, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2.जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3.वनाधिकारी यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4.सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि वचनबद्वता प्रमाण पत्रों की शर्तानुसार कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड
लो0नि0वि0 धारचूला

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)-
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT.FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE-0135-2650809
FAX-0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/08/148/2016/एफ0सी0 / 1118

दिनांक:26/09/2017

सेवा में,

सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : Diversion of 10.35 ha of forest land for construction of Adichaura to Sinni Motor Road in favour of Gramya Vikas Vibhag (PMGSY) within the jurisdiction of Pithoragarh Forest Division, District Pithoragarh, Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13621/2015).

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13621/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 791/X-4-16/1(229)/2016 दिनांक 12.08.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/13621/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनाक 11.08.2017 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/द्रस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार Diversion of 10.35 ha of forest land for construction of Adichaura to Sinni Motor Road in favour of Gramya Vikas Vibhag (PMGSY) within the jurisdiction of Pithoragarh Forest Division, District Pithoragarh, Uttarakhand हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 20.70 है0 सिन्नी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण **Online portal** के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।
5. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may upload 658.92 ha of CA stipulated in the non-forest land in column-7 of the table in the district profile data at para -14 of online Part-II.

Scanned with CamScanner

7. State Govt. will provide hard copy of the proposal containing original/attested copies of all other documents except FRA certificate, geo referenced digital map of the forest land proposed for diversion which have been provided in original, Geo-referenced digital map of CA may be provided in original.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन.पी.वी देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 20.70 है० सिन्नी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 638 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति मे दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम.एस.नेगी)
वन संरक्षक

Scanned with CamScanner

आदेश.

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–08बी/यू.सी.पी./06/148/2016/एफ.सी./1118 दिनांक 26.09.2017 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत आदिचौरा से सीणी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 10.350 है0 वन भूमि के बदले 20.700 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII (II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत आदिचौरा से सीणी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 10.350 है0 वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी मुनस्यारी की आख्या/संस्तुति के आधार पर ग्राम सीणी पट्टी रिंगौनिया तहसील मुनस्यारी/तेजम के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–245 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के कुल 06 खेतों की 6.075 है0 खाता संख्या–252 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के कुल 61 खेतों की 14.625 है0 इस प्रकार उक्त 02 खातों के कुल 67 खेतों की 20.700 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार मुनस्यारी/तेज़म स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

<u>दिनांक सितम्बर 05, 2018</u>

(सी0रविशंकर)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या–2394/सात–54/2017–18 दिनांक सितम्बर 06 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी मुनस्यारी।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड लो.नि.वि. धारचूला।
5. तहसीलदार मुनस्यारी/तेजम को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सी0रविशंकर)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

2022/1/12 11:48

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

[illegible]

पत्रांक 1317/12-1 दिनांक पिथौरागढ़ [illegible] अक्टूबर 2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

[illegible] खण्ड,

लोक निर्माण विभाग, [illegible]।

विषयः- जनपद पिथौरागढ़ में [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.35 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक- 08/UCP/06/148/2016/FC/1118 दिनांक 26-09-2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 व 2 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	मद	क्षेत्रफल	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	क्षतिपूरक [illegible]	20.70 हे0	2,53,332/-	52,43,972/-
2	एन0पी0वी0	10.35 हे0	8,97,000/-(ईको क्लास V1) घनत्व 0.4	92,83,950/-

कृपया उक्त धनराशि ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा [illegible] के उपरान्त धनराशि निम्नानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

Scanned by CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-11-2017

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6113621221
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/148/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA,Pithoragarh
Amount(in Rs)	14527922/-

Amount in Words :One Crore Forty-Five Lakh Twenty-Seven Thousand Nine Hundred and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-11-2017

Agency Name.	PMGSY
Application No.	6113621221
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/148/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	E.E. PMGSY P.W.D DHARCHULA, Pithoragarh
Amount(in Rs)	14527922/-

Amount in Words :One Crore Forty-Five Lakh Twenty-Seven Thousand Nine Hundred and Twenty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com**

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

मोटर मार्ग –प्रस्तावित मोटर मार्ग आदिचौरा – सिन्नी मोटर मार्ग (कि०मी०–13.00)

ग्राम – सिन्नी परगना – सिरोनिया तहसील – मुनस्यारी जिला – पिथौरागढ़

क्र.सं.	खाता सं.	खातेदार का नाम	खेत सं०	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	252	बंजर काबिल आबाद	4	0.059	0.050
2	राज्य भूमि	बंजर काबिल आबाद	6	0.766	0.750
3	"	बंजर काबिल आबाद	7	0.729	0.700
4	"	बंजर काबिल आबाद	8	0.938	0.900
5	"	बंजर काबिल आबाद	9	0.506	0.400
6	"	बंजर काबिल आबाद	10	0.375	0.300
7	"	बंजर काबिल आबाद	11	0.149	0.145
8	"	बंजर काबिल आबाद	12	2.215	2.100
9	"	बंजर काबिल आबाद	39	0.161	0.150
10	"	बंजर काबिल आबाद	157	0.230	0.200
11	"	बंजर काबिल आबाद	956	0.194	0.170
12	"	बंजर काबिल आबाद	966	0.094	0.070
13	"	बंजर काबिल आबाद	978	0.046	0.040
14	"	बंजर काबिल आबाद	980	0.319	0.300
15	"	बंजर काबिल आबाद	986	0.193	0.165
16	"	बंजर काबिल आबाद	1076	0.178	0.150
17	"	बंजर काबिल आबाद	1936	0.050	0.050
18	"	बंजर काबिल आबाद	1998	0.253	0.250
19	"	बंजर काबिल आबाद	2882	0.050	0.050
20	"	बंजर काबिल आबाद	3050	0.024	0.020
21	"	बंजर काबिल आबाद	3142	0.235	0.220
22	"	बंजर काबिल आबाद	3200	0.064	0.050
23	"	बंजर काबिल आबाद	3367	0.060	0.050
24	"	बंजर काबिल आबाद	3373	0.451	0.140
25	"	बंजर काबिल आबाद	3390	0.054	0.050
26	"	बंजर काबिल आबाद	3408	0.425	0.400
27	"	बंजर काबिल आबाद	3467	0.238	0.200
28	"	बंजर काबिल आबाद	3480	0.060	0.050
29	"	बंजर काबिल आबाद	3489	0.111	0.100
30	"	बंजर काबिल आबाद	3527	0.236	0.200
31	"	बंजर काबिल आबाद	3739	0.333	0.300
32	"	बंजर काबिल आबाद	3924	0.085	0.050
33	"	बंजर काबिल आबाद	4191	0.076	0.040
34	"	बंजर काबिल आबाद	3101	0.115	0.100
35	"	बंजर काबिल आबाद	4854	0.215	0.200
36	"	बंजर काबिल आबाद	4860	0.061	0.040
37	"	बंजर काबिल आबाद	4860	1.448	1.100
38	"	बंजर काबिल आबाद	4894	0.044	0.050
39	"	बंजर काबिल आबाद	5124	0.073	0.050
40		कुल योग		11.893	10.35

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र सिरोनिया
मुनस्यारी

कुल भाग = 10.35 ha. ×2.5 = 25.87 ha.

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण

मोटर मार्ग –प्रस्तावित मोटर मार्ग आदिचौरा – सिन्नी मोटर मार्ग (कि0मी0–13.00)

ग्राम – सिन्नी परगना – पिथौरागढ़ तहसील – मुनस्यारी जिला – पिथौरागढ़

क्र.सं.	खाता सं.	खातेदार का नाम	खेत नं.	कुल रकबा	चयनित रकबा
1	252	बंजर काबिल आबाद	6292	0.056	0.050
2	राज्य भूमि	बंजर काबिल आबाद	6369	0.103	0.100
3	"	बंजर काबिल आबाद	6469	0.219	0.200
4	"	बंजर काबिल आबाद	6493	0.163	0.100
5	"	बंजर काबिल आबाद	6272	0.255	0.200
6	"	बंजर काबिल आबाद	6524	0.106	0.100
7	"	बंजर काबिल आबाद	6535	0.133	0.100
8	"	बंजर काबिल आबाद	6570	0.338	0.200
9	"	बंजर काबिल आबाद	6990	0.329	0.300
10	"	बंजर काबिल आबाद	6918	0.291	0.200
11	"	बंजर काबिल आबाद	6928	0.131	0.100
12	"	बंजर काबिल आबाद	6994	0.101	0.100
13	"	बंजर काबिल आबाद	6939	0.063	0.050
14	"	बंजर काबिल आबाद	7033	0.106	0.100
15	"	बंजर काबिल आबाद	7585	0.089	0.060
16	"	बंजर काबिल आबाद	7604	0.133	0.100
17	"	बंजर काबिल आबाद	7904	0.083	0.050
18	"	बंजर काबिल आबाद	7936	0.455	0.300
19	"	बंजर काबिल आबाद	8713	0.923	0.600
20	"	बंजर काबिल आबाद	8714	0.658	0.400
21	"	बंजर काबिल आबाद	6829	0.125	0.076
22	"	बंजर काबिल आबाद	8856	0.183	0.100
23	"	बंजर काबिल आबाद	8912	0.088	0.045
24	245	बंजर काबिल आबाद	1483	0.890	0.500
25	"	बंजर काबिल आबाद	3576	1.811	1.500
26	"	बंजर काबिल आबाद	3497	0.693	0.500
27	"	बंजर काबिल आबाद	3618	1.364	1.000
28	"	बंजर काबिल आबाद	4858	2.513	2.215
29	"	बंजर काबिल आबाद	4686	1.187	1.000
		कुल योग		13.39	10.35

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र सिर्मौलिया

तहसील मुनस्यारी

उपजिलाधिकारी

मुनस्यारी (पिथौरागढ़)

स्ट्रीट प्लान्टेशन का वचनबद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग कुल लम्बाई–13.000 किमी0 (20.70 हे0) में पथ वृक्षारोपण की धनराशि भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा मांग किये जाने पर विभाग/एजेन्सी द्वारा जमा कर दी जायेगी।

13.01.2022

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग कुल लम्बाई—13.000 किमी0 (20.70 हे0) में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग कुल लम्बाई–13.000 किमी0 (20.70 हे0) हेतु एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होने पर विभाग/एजेन्सी द्वारा बढ़ी दरो पर एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग कुल लम्बाई–13.000 किमी0 (20.70 हे0) के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग कुल लम्बाई–13.000 किमी0 (20.70 हे0) में विभाग/एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का चार फिट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर फारवर्ड एवं बैक बेयरिंग अंकित किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है विभाग/एजेन्सी द्वारा आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग निर्माण कार्य में कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति से बचाया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं की किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जाएगी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये गये वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड.
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग निर्माण कार्य के दौरान ऊत्सर्जित मलवे का निस्तारण निर्दिष्ट/डम्पिंग स्थानों के अलवा अन्यत्र नही किया जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग में प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो विभाग/एजेन्सी द्वारा उनके अधीन आवश्यक अनुमति ली जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0 धारचूला

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -5182 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 21-5-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ में प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.35 हे0 वनभूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/13621/2015.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/148/2016/एफ0सी0/1118 दिनांक 26.09.2017।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 7853/12-1 दिनांक 17.05.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

O/C

भवदीय

(कुबेर सिंह बिष्ट)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनसंरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम 2003 में निहित विधियों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/13621/2015 जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत डीडीहाट–आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.35 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी भूमि ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम–सिणी, पट्टी–रिंगोनिया तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत चिन्हित खाता संख्या–245 हेतु 6.075 हे0 एवं खाता संख्या–252 हेतु 14.625 हे0 [illegible] कुल 20.70 हे0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक– 2396 /सात–59/2017–18 दिनांक 06.09.2018 के द्वारा हस्तान्तरित/आवन्टित करवाते हुए विभाग के पक्ष में अमल दरामद कर दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी व स्वामित्व वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दि0 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1506/14-02-97-600(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। जिसे पुनः वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

वन संरक्षक
कुमाऊं वृत्त
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

प्रभागीय वनाधिकारी
वनप्रभाग,पिथौरागढ

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 874 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 26 अगस्त, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 10.35 हे0 वन भूमि वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 2890/FP/UK/ROAD/13621/2015 दिनांक 03.06.2022 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 593/1भूमि दिनांक 04.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त सं0 06 व 07 के कम में हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस कम में निम्न प्रकार शर्तों का अनुपालन कर आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 06 एवं 07 से सम्बन्धित संलग्नक हार्डकॉपी में प्रेषित नहीं किये गये हैं।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 06 के कम में आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। शर्त सं0 07 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, धारचूला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

District Profile of Pithoragarh District As On Mar 2019

S.No	Name of District	Geographical Area of District (in ha)	Forest Area of District (in ha)	Total Forest Area of Diverted since 1980 (in ha)	No. Of Approved Cases	CA Including penal CA Stipulated (in ha)		Progress of CA (in ha)		Total CA Done (in ha)
						In Forest Land	In Non-Forest	In Forest Land	In Non-Forest Land	
1	Pithoragarh	716900	215750.5600	2432.62	574	3445.09	658.92	3406.20	658.92	4065.12

(*) **Total are=112.019 ha in 282 cases less then 1 ha diversion. Exepmption of CA for 83.17 ha in 9 cases.**

			1	2	3	4	5	6	7	8
			TAD	Exepmpt	Land Diverted Less<1	NFL has been done in equivalent	Penal CA in NFL	Penal CA in DFL	CA equivalent in DFL	Total CA Done
			2432.62	83.17	112.02	658.92	0.00	289.5[illegible]	1.02	4065.12
	Ist	1-(2+3+4+7)	1577.4910							
	IInd	Ist *2	3154.9820							
	IIIrd	IInd - 4+5+6-7	4104							
*	Total CA Stipulated (in ha)		4104							
	Total CA Progress in %		99.0526							